

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश


एस.बी.सिविल याचिका संख्या 16894/2021 गुरप्रीत कौर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2021 में अप्रार्थीगण को याचिकाथिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकाथिया ने अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि याचिकाथिया शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III भर्ती परीक्षा 2018 द्वारा राउप्रावि, ग्राम घेसूरा, तहसील लूणकरणसर, जिला-बीकानेर में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III के पद पर कार्यरत हैं। याचिकाथिया के कथनानुसार याचिकाथिया ब्लड कैंसर से पीड़ित है, जिसका ईलाज महावीर कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, जयपुर से चल रहा है, जिसके कारण याचिकाथिया को अपने गृह जिले हनुमानगढ़ से दूरस्थ सेवा देने में कई परेशानियां हो रही हैं। अतः याचिकाथी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर शारीरिक परिस्थितियों के आधार पर बीकानेर जिले के स्थान पर हनुमानगढ़ जिले गृह निवास के पास रामावि, डिगवाला, तहसील पीलिबंगा या अन्य विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापन की मांग की है।

याचिकाथिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.08.2021 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 के अनुसार शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III का पद जिला स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III का पद जिला कैंडर का होने के कारण जिला परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से विभाग का जिलास्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III के पद जिले में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर वर्गवार एवं जिलेवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को जिलेवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य जिले में स्थानान्तरण कर जिला परिवर्तन किये जाने से जिलों में उपलब्ध पदों के विरुद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कर्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कर्मिक को पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कर्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कर्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। राज्य सरकार के पत्रांक प.17(30) शिक्षा-2/2021 जयपुर दिनांक 14.08.2021 में स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के बिन्दु संख्या-01 में भी यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि "सीधी भर्ती से पदस्थापित परिवीक्षाधीन अध्यापक का स्थानान्तरण नहीं किया जावे।" याचिकाथिया द्वारा अभ्यावेदन में अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्क संगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है, परन्तु याचिकाथिया द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर अंतर जिला स्थानान्तरण हेतु मात्र होने पर तत्समय सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है। उक्तानुसार इस मांग के संबंध में याचिकाथिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

सत्यमव जयत


(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 25/01/22

क्रमांक:-शिविस-माध्य/संस्था/एफ-2/को.के./जोध/13216/2021

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-विधि) जोधपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक बीकानेर
3. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
5. याचिकाथिया गुरप्रीत कौर, शा.शि. गेड-III राउप्रावि, घेसूरा, लूणकरणसर, जिला-बीकानेर (रजिस्टर्ड)
6. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)